

न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी-श्री रामकरन मीना तहसीलदार बयाना)

प्र०स० 72/18 ता० रजु 25/11/19 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 6/2/19

सरकार

बनाम

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का 14वाड ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि ग्राम पत्रावली के खसरा न० 137/1220 रकवा 0.25 हैक्ट में से रकवा 0.25 हैक्ट किस्म भूमि नदी पर सम्वत 2075 में पत्रावली अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी/अप्रार्थियों को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी/अप्रार्थियों को न्यायालय हाजा से आवाज लगाई, नोटिस प्राप्त उपरान्त अप्रार्थी/अप्रार्थीगण न्यायालय हाजा में पेशी दिनांक को उपस्थित/अनुपस्थित आया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी/अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय सिवायचक/चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से वेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 137/1220 रकवा 0.25 हैक्ट वाके ग्राम पत्रावली से वेदखल किया जाता है। लगान 4.00 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 200/- से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी०आर०ए० हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली हेतु एवं खडी फसल को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/अवैध कब्जा/अवैध निर्माण ध्वस्त कर वेदखली बाबत हल्का पटवारी/गिरदावर को आदेश जारी हों।

पत्रावली फ़ैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 6/2/19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस पत्रावली की बात हाजा
वा. के. नं. 00 26
दिनांक 13-2-19 18-19
वेनकटा 200/-
13-2-19

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)